न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 86/2019 दायर दिनाँक 26.02.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल दत्तक पुत्र गणपत, 2. बजरंगलाल पुत्र हणमान, जाति अहीर, निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. दानाराम पुत्र लालुराम, जाति अहीर, निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना 2. मैनेजर जयपुर थार ग्रामिण बैंक शाखा नुंवा, तहसील डीडवाना 3. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188

उपस्थित :–

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट वकिल वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.08.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 593 रकबा 43.06 बीघा वाके अहीरो का बास स्थित है, इस खेत का वादीगण ने कानूनी रूप से बंटवारा करवा लिया, जिसके अनुसार वादी भंवरलाल के बंट, कब्जा क ाश्त व खातेदारी में खसरा संख्या 593 रकबा 13.13 बीघा, खसरा संख्या 798/593 रकबा 8 बीघा कुल 21.13 बीघा आयी तथा वादी बजरंगलाल के बंट, कबजा काश्त व खातेदारी में खसरा संख्या 797/593 रकबा 15.13 बीघा, ख ासरा संख्या 800/593 रकबा 6 बीघा कुल 21.13 बीघा आयी, जमाबंन्दी की नकल वाद के साथ पेश है।

खेत खसरा संख्या 593 के नये खसरा संख्या बन गये है जो इस प्रकार है, वादी भंवरलाल की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 254/382 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा संख्या 254/383 रकबा 2.21 हेकटर व खसरा संख्या 254/381 रकबा 0.05 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता व वादी बजरंग लाल की खातेदारी मे खसरा संख्या 254/385 रकबा 2.48 हैक्टर, खसरा संख्या 254 रकबा 0.97 हैक्टर व खसरा संख्या 254/384 रकबा 0.05 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हुये है, तथा खसरा संख्या 252 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा संख्या 251 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 253 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता है, जिनकी खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज है, प्रतिवादी [illegible]नाराम की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत [illegible] 594 [illegible].08 बीघा वाके अहीरो का का बास स्थित है। [illegible]594 के नये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा संख्या 266 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 267 रकबा 0.05 हैक्टर व खसरा संख्या 268 रकबा 3.73 हैक्टर कुल 3.79 हैक्टर हुये है, भुप्रबन्ध विभाग की नकल पेश है। तथा प्रतिवादी दानाराम के पिता लालुराम व दानाराम के भाई मुलाराम ने वादीगण के पिता लालुराम व गणपत के हक में एक लिखत मिति सावण सुदी 10 संवत् 2025 को इस आश्य की कर दी कि प्रतिवादी के पिता–दादा की खातेदारी व कब्जा काश्त के पुराने खेत खसरा संख्या 594 में आने जाने के लिये पिता/दादा के खेत पुराने खसरा संख्या 593 में से खसरा संख्या 593 की दक्षिणी सींव सींव रास्ता रहेगा तथा इस रास्ते के बदले खसरा संख्या 594 की उतरी सींव सींव 0.010 हैक्टर भूमि वादीगण के पिता के नाम से करवा देगें। तथा यह भी लिखत कर दी थी कि दुबारा सेटलमेंन्ट होने पर रास्ते में ली गयी भूमि के ऐवज में खसरा संख्या 394 में से जमीन दे देगें, रास्ते के ऐवज आने वाली भूमि करीब 12 बिस्वा होती है। जो वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से चली आ रही है। और वादीगण को प्रतिकुल कब्जा के आधार पर भी जमीन अपने नाम से करवाने के जायज अधिकारी है। तथा गांव के मुखियान की उपस्थिति में यह लिखत कर दें, प्रतिवादी दानाराम के पिता लालु ने अंगुठा किया था, लिखापढ़ी की नकल वाद के साथ पेश हैं।

वादीगण के पूर्वजो ने लिखत के समय ही रास्ते के बदले आयी भूमि को स्वयं की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 593 में मिला ली थी, तथा डोल व बाड़ करके एक ही चक कर लिया था, तब से यह जमीन वादीगण के कब्जा काश्त में अबाध रूप से चली आ रही है, लेकिन हाल ही में हुये सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादी नम्बर 01 ने रास्ता के एवज में आने वाली 0.010 हैक्टर जमीन वादीगण के नाम से नहीं करवायी तथा प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है और वह नजरी नक्शा में प्रदर्शित रास्ता मार्क ए, बी को सेटलमेंट के दौरान कटाणी दर्ज करवा लिया लेकिन उसकी एवज में आने वाली जमीन करीब 12 बिस्वा अर्थात 0.010 हैक्टर नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क सी, डी, ई, एफ वादीगण के नाम से करवाने से इंकार है। वादीगण ने इसे नजरी नक्शा में दर्शाया है। जो वाद का भाग है, नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। वादीगण उक्त 0.010 हैक्टर भूमि को अपने नाम से करवाने के जाजय अधिकारी है।

वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 01 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान खसरा संख्या 268 रकबा 3.73 हैक्टर भूमि में से उतरी सींव सींव के पास 0.010 हैक्टर भूमि नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क सी, डी, ई, एफ भूमि में किसी प्रकार का [illegible] के कानूनन अधिकारी है। वादीगण को दावा बाबत स्थाई [illegible] का करना लाजमी आया है। दावा हाल ही में [illegible] 23.01.2019 [illegible] व नक्शा ट्रैस की नकल भु–प्रबन्ध कार्यालय, सीकर से [illegible] करने से वादीगण के नाम से रास्ते के ऐवज की भूमि 0.010 [illegible] भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी नहीं होने की जानकारी होने से व प्रतिवादी नम्बर 01 को उक्त जमीन नाम करवाने का कहने से व उसके द्वारा मना कर देने से व जमाबंदी की नकल पटवारी हल्का से दिनॉक 08.02.2019 को प्राप्त होने से अन्दर हदुद अदालत हाजा बमुकाम अहीरो का बास, सुद्रासन पैदा हुआ, दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है, तथा दावा अन्दर मयाद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तहसीलदार मौलासर से उक्त वाद के सबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट में भी खेत खसरा संख्या 268 की भूमि खसरा संख्या 254/385 में सम्मलित होने का उल्लेख है, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम सुद्रासन में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 268 रकबा 3.73 हैक्टर में से खेत की उतरी सीव सींव 0.010 हैक्टर भूमि (उक्त भूमि नजरी नक्शा में मार्क सी, डी, ई, एफ से दर्शायी गयी है) वादी बजरंगलाल के नाम घोषित की जाती है, इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 05.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **86/2019** दायर दिनाँक **26.02.2019**

प्रार्थीगण		**अप्रार्थीगण**
1. भंवरलाल दत्तक पुत्र गणपत, 2. बजरंगलाल पुत्र हणमान, जाति अहीर, निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. दानाराम पुत्र लालुराम, जाति अहीर, निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना 2. मैनेजर जयपुर थार ग्रामिण बैंक शाखा नुंवा, तहसील डीडवाना 3. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **05.08.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट वकिल वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम सुद्रासन में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 268 रकबा 3.73 हैक्टर में से खेत की उतरी सीव सींव 0.010 हैक्टर भूमि (उक्त भूमि नजरी नक्शा में मार्क सी, डी, ई, एफ से दर्शायी गयी है) वादी बजरंगलाल के नाम घोषित की जाती है, इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।
नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—...................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.08.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner